

14712
TI/14718

M-24

Public Information Office
N.W.Railway, Jaipur. Division
Jaipur-302006
Date 12.06.2019

Information Officer
RTI Cell, (PGCIL)
Power Grid Corporation of India Ltd.
Gurugram-(Haryana)

Sub: Information under Right to Information Act,2005
Ref: RTI application of Mr.Mahendra Kumar Chejara dated -Nil

An application along with the prescribed fee regarding seeking of information under section 6(1) of RTI Act-2005 by the applicant is received and registered in this office on 22-05-2019.


After going through the application and the provisions of the RTI Act-2005, the undersigned is of the opinion that the information sought is closely connected with the function of your jurisdiction. Hence the original application is transferred under provisions of Section 6(3) of RTI Act 2005 for examination & providing required information as under:

The detailed reply / information along with duly attested supporting documents shall be sent directly to the applicant within prescribed time under section 7(1) of the RTI Act-2005. In case of denial & submission of part information detailed reasons thereof may be provided to the Applicant. Since the case has been transferred to you under the provisions of Section 6(3) of RTI Act 2005, if the information provided by you is challenged through an appeal as misleading, delayed or denied information, the burden of proving that you have acted reasonably and diligently shall lie with you and, if any penalty is imposed under Section 20(1) and 20(2) of RTI Act 2005, on this ground by the Hon'ble Appellate Authorities they shall be deemed to lie on your part.

The document fee as per norms, if any, is to be collected from the applicant at your end.

In view of the above you are requested to kindly look in to the matter personally and arrange to send the desired information directly to the applicant at the earliest, treating this matter on top priority and under intimation to this office.

Enclosures as above with Nodal Officer's reply


Public Information Officer & Sr.DFM
Jaipur Division

Copy to:- Mr. Mahendra Kumar Chejara, Pani ki Tanki ke pas, Post- Mukundgarh, Dist-Jhunjhunu-333705, - is advised to correspond with the above concerned Public Information Officer, RTI Cell, (PGCIL), Power Grid Corporation India Ltd., Gurugram-(Haryana), - for reply of RTI application dated -NIL

Enclosures -(Annex.1 , With 03 Pages) Reply of Nodal officer

Dr. PIOC RC) MWR/JP

NR-I

→ AT 24/6/19
21/6/19

उत्तर पश्चिम रेलवे

9

Anna)

मण्डल कार्यालय,
जयपुर

दिनांक : 07.06.2019

संख्या : ईएल/जेपी/आर टी आई/14712

जन सूचना अधिकारी एवं
वरि. मण्डल वित्त प्रबन्धक,
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।

संदर्भ : आपका पत्र सं. Div/JP/Inf/RTI/14712 दिनांक 22.05.2019

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री
महेन्द्र कुमार चेजारा, मुकुन्दगढ, जिला-झुन्झुन द्वारा चाही गई सूचना का जवाब अनुलग्नक 'ए'
के रूप में संलग्न है।

यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।




07.06.2019

वरि. मण्डल बिजली इंजीनियर
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

१

अनुलग्नक 'ए'

चाही गई सूचना का जवाब दिनांक 22.05.2019 द्वारा दिया गया था (प्रति संलग्न) जिसमें पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड (PGCIL) द्वारा रेल लाईनों के ऊपर से ट्रेक क्रॉसिंग का कार्य किया गया था। PGCIL भारत सरकार का एक उपक्रम है तथा PGCIL द्वारा समस्त भारत में विभिन्न जगहों पर ट्रांसमिशन लाईन का कार्य किया जाता है। सीकर से बस्सी ग्रिड को जोड़ने के लिये 400 Kv ट्रांसमिशन लाईन PGCIL द्वारा कन्स्ट्रक्ट की गई है एवं इसमें प्रयुक्त आई.एस. का कम्प्लायन्स भी PGCIL द्वारा जमा करवाया गया था(प्रति संलग्न)। अन्य किसी प्रकार की जानकारी इस कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं है। चूंकि PGCIL भारत सरकार का एक उपक्रम है एवं समस्त कार्य PGCIL द्वारा ही किया गया है। अतः विस्तृत जानकारी PGCIL से ही ली जा सकती है।


7/9/19
(SSE/1 R-PTC)

उत्तर पश्चिम रेलवे

Amica (क)

(५)

मण्डल कार्यालय,

जयपुर

दिनांक : 29.05.2017

संख्या : ईएल/जेपी/आर टी आई/9684/ए/955

जन सूचना अधिकारी एवं
वरि. मण्डल वित्त प्रबन्धक,
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में
- अपील प्रकरण श्री महेन्द्र कुमार चेजारा, मुकुन्दगढ, जिला-झुन्झुन
संदर्भ : श्री महेन्द्र कुमार चेजारा की अपील दिनांक 19.05.2017

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री
महेन्द्र कुमार चेजारा, मुकुन्दगढ, जिला-झुन्झुन द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है।

मद-1 केस संख्या: EL/253/647/W6 पॉवर लाईन ट्रेक क्रॉसिंग KM 243/4-5, सीकर जं. से
जेटीदादिया रेलवे स्टेशन के मध्य है एवं केस संख्या: EL/253/648/W6 पॉवर लाईन ट्रेक
क्रॉसिंग KM 11/2-3, सीकर जं. से लक्ष्मणगढ सीकर रेलवे स्टेशन के मध्य है। उक्त ट्रेक
क्रॉसिंग्स के लिये अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार कार्य करने के लिये कार्य शुरू करने की
अनुमति विद्युत विभाग, जयपुर द्वारा दी गई थी। पॉवर लाईन ट्रेक क्रॉसिंग KM 11/2-3,
सीकर जं. से लक्ष्मणगढ सीकर रेलवे स्टेशन (केस संख्या: EL/253/648/W6) के किये गये
कार्य में मानकों की अनुपालना का कन्फर्मेशन पॉवर ग्रिड, जयपुर द्वारा पत्र संख्या:
NR/1/PG/Jaipur/2017-18 दिनांक 25.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (प्रतिलिपि
संलग्न है)
पॉवर लाईन ट्रेक क्रॉसिंग KM 243/4-5, सीकर जं. से जेटीदादिया रेलवे स्टेशन (केस संख्या:
EL/253/647/W6) के लिये अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार कार्य करने के लिये कार्य शुरू करने
की अनुमति विद्युत विभाग, जयपुर द्वारा दी गई थी। उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात अन्तिम
संयुक्त निरीक्षण व अनुपालना पत्र PGCIL द्वारा दिया जाना है जो कि अभी तक PGCIL
द्वारा इस कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया है। अतः इसका कन्फर्मेशन, PGCIL द्वारा
अनुपालना पत्र जमा कराने पर ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। उक्त केस की अनुमोदित
ड्राईंग में PGCIL द्वारा सम्बंधित IS के अनुसार कार्य करने के लिये लिखा हुआ है।

यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

29.5.2017
वरि. मण्डल बिजली इंजीनियर
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

संदर्भ सं: एन.आर.-1/पी.जी. जयपुर/2017-18/ दिनांक: 25/05/2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that the following code of practices or standard were used in construction work of 400 kV (Double Circuit) Sikar - Bassi Transmission line at all its railway crossings.

Sl.No.	Indian Standard	Titles	International Standard
1	IS:800-1991	Code of practice for General Building Construction in Steel	CSA:6.1
2	IS:802 (Part-1) Sec 1-1995 Sec-2-1992	Code of practice for General Building Construction in Steel in Overhead Transmission Line Tower. Material, loads and permissible Stress. Section - 1: Materials and Loads Section - 2: Permissible Stress	ASCE 52 IEC 826 BS:8100
3	IS : 802 (Part 2) - 1990	Code of practice for General Building Construction in Steel in Overhead Transmission Line: Fabrication, galvanizing, inspection & Packing	ASCE 52
4	IS : 802 (Part 3) - 1990	Code of practice for use of structural steel in Overhead Transmission Line: Tower Testing.	ASCE 52 IEC 652
5	IS : 875 :-1992	Code of practice for design loads (other than earthquake) for buildings and structure	
6	IS : 456	Code of practice for all the properties of concrete regarding its strength under compression, tension shear, punching etc. as well as workmanship.	

This certificate is being issued for compliance of report regarding overhead crossing of railway track by 400 kV Sikar - Bassi Line at km.No. 11 / 2-3 use only.

602015
(For POWERGRID, Jaipur)

(1) / 80. DEE/JP (Sarakthi)

Date: 6/1/19

श्रीमान. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
जयपुर मण्डल रेवेन्यू प्रबन्धक कार्यालय,
पावर हाइस रोड, जयपुर रेवेन्यू स्टेशन के पास,
पो. जयपुर (राज.)

80. DEE/JP
1429)

C.A. 182 Reg
218

विषय :- सूचनाओं के लिए आवेदन,
महोदय,

आपको उपरोक्त आवेदन आर.टी. आई. एक्ट की धारा 6(1)
के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप निम्न सूचनायें उपलब्ध करायें।
(1) आप द्वारा प्रेषित पत्र संख्या ई. एल./जे.पी./आर.टी.आई/9684/ए/1
955 के साथ ~~इसके~~ पावर ग्रिड कोरपोरेशन द्वारा निर्मित भारतीय मानक
प्रमाण पत्र में लिखित मानको आई. 800, आई. 802 पार्ट 1, सेक्शन 1
सेक्शन, आई. एल. 802 पार्ट 2, आई. एल. 802 पार्ट 3, आई. एल. 456
में प्रयुक्त विभिन्न पार्ट्स, ~~कौन-कौन से~~ बटक कौन-कौन से भारतीय
मानको से प्रमाणित किये गये हैं, अथवा कनफर्म किये गये हैं, विभिन्न
बटक, पार्ट्स कौन-कौन सी कम्पनियों अथवा विनिर्माताओं द्वारा
विनिर्मित हैं, तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर का विवरण क्या-क्या है उपरोक्त
सभी विवरण उपलब्ध करायें।
सूचनायें शीघ्र उपलब्ध करायें।

संलग्न
आई.पी.ओ.
क्रमांक PAF 342106
राशि - 10 रु.

आवेदक
महेन्द्र कुमार चौजारा
पानी की टंकी के पास,
पो. मुकुन्दगढ़ - 335705
जिला - मुहम्मदपुर (राज.)
हस्ताक्षर - Meh
मो. 9414558953

910
15/3/19

मान्य अपीलिय अधिकारी,

जयपुर डिविजनल रेस्वे मैनेजर, कार्यालय
पावर हाऊस रोड, जयपुर जंक्शन के पास,
पोस्ट- जयपुर (राज.)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील,
महोदय,

आपको उपरोक्त अपील केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
जयपुर डिविजनल रेस्वे मैनेजर कार्यालय के विरुद्ध आर.टी. आई एक्ट
की धारा 19(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा रही है, अपील में प्रस्तुत
तथ्यों का अवलोकन कर नियमानुसार कार्यवाही करे, और सूचनाये
उपलब्ध कराये।

(1) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने दुर्भावनापूर्ण जानबूझकर सूचनाये
उपलब्ध नहीं कराई तथा, सूचनाये उपलब्ध ~~कराने का प्रयास~~ नहीं करने
के लिए आर.टी. आई. एक्ट के कितनी भी विधि सम्मत प्रावधान
का उल्लेख नहीं किया है जो स्पष्ट रूप से आर.टी. आई. एक्ट का उल्लंघन
है।

अतः तथ्यों का अवलोकन कर नियमानुसार कार्यवाही करे एवम सूचनाये
उपलब्ध कराये।

संलग्न
अवेदन पत्र प्रतिलिपि - 1 प्रुष्ठ
सूचना पत्र आवरण - 1 प्रुष्ठ
के. ज. सू. अ. का पत्र - 1 प्रुष्ठ

अपीलकर्ता
महेन्द्र कुमार चौजारा
पानी की टंकी के पास,
पोस्ट- मुकुन्दगढ़- 333105
जिला- मुकुन्दगढ़ (राज.)

Signature - Mah

श्रीमान केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय,
जवाहर सर्किल के पास,
पो जयपुर (राजस्थान)

विषय :- सूचनाओं के लिए आवेदन,
सहोदर,

आपको उपरोक्त आवेदन डार. टी. नॉई. एकड़ की
धारा 6 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है कि आप निम्न
सूचनाओं उपलब्ध कराये।

(1) जयपुर से लुढाक रेल ट्रेक पर कला-कला पर डोपर हैड ट्रान्स
मिशन लाइन क्षमता 33 किलो वोल्ट, की रेलवे ट्रेक के नीचे से
शिफ्ट किया है तथा छप्टेक शिफ्ट कार्य के लिए ए.वी.वी.
एन. एल. और ए.वी.वी.एन.एल. को कितना-कितना मुगताव
किया गया है, प्रत्येक शिफ्ट कार्य की जागह व विवरण सहित विवरण
उपलब्ध कराये।

(2) अजमेर डिवीजन, जयपुर डिवीजन, बीकानेर डिवीजन, जयपुर
डिवीजन चारों डिवीजन द्वारा 1 जनवरी 2018 से 31 दिसम्बर 2018
तक प्रत्येक साह कितना-कितना सेवा कर- सेवा कर विभाग को
जमा कराया है विवरण उपलब्ध कराये।
सभी सूचनाये त्रिपु उपलब्ध कराये।

आपका
आ. नं. पी. डो.
कुंमाक PAF 342070
राशि - 1000

आवेदक
महेश कुमार चैजारा
पानो की टंकी के पास,
पो. गुकड़-दगढ़-333705
जिला - मुम्बैनू (राजस्थान)

Sign - Mah

इसे काटकर भेजें इसे पास रख लें
To be detached and kept
by the Sender.

पोस्टल आर्डर
₹ 10
POSTAL ORDER
लिसे अदा करण
To whom payable. P & A.C.
NWR HB
किसर डिवीजन में
At what Office. Jeyipur
क्या इसे क्रॉस किया है
Whether crossed Yes
भेजने की तारीख
Date sent 26/12/18
41F 342070

NORTH WESTERN RAILWAY

No. Div/JP/Inf./RTI/ 14291

Public Information Office
N.W.Railway, Jaipur. Division
Jaipur-302006
Date 05/02.2019

Public Information Officer RTI Cell O/o DRM Jodhpur (North Western Railway) Jodhpur-(Raj.)-342001	Public Information Officer RTI Cell O/o DRM Bikaner (North Western Railway) Bikaner -(Raj.)-	Public Information Officer RTI Cell O/o DRM Ajmer (North Western Railway) Ajmer -(Raj.)-305001
---	--	--

Sub: Information under Right to Information Act,2005

Ref: PIO/Headquarter/NWR/JP 's Online No.NWRLY/R/2019/00013 Dated 01.01.19


An online application transferred by NWR/HQ/Jaipur, regarding seeking of information under section 6(1) of RTI Act-2005 by the applicant, is received and registered in this office on 11-01-2019

After going through the application and the provisions of the RTI Act-2005, the under signed is of the opinion that the information sought is closely connected with the function of your jurisdiction. Hence the original application is transferred under provisions of Section 6(3) of RTI Act 2005 for examination & providing required information as under:

- 1 The detailed reply / information along with duly attested supporting documents shall be sent directly to the applicant within prescribed time under section 7(1) of the RTI Act-2005. In case of denial & submission of part information detailed reasons thereof may be provided to the Applicant.
- 2 Since the case has been transferred to you under the provisions of Section 6(3) of RTI Act 2005, if the information provided by you is challenged through an appeal as misleading, delayed or denied information, the burden of proving that you have acted reasonably and diligently shall lie with you and, if any penalty is imposed under Section 20(1) and 20(2) of RTI Act 2005, on this ground by the Hon'ble Appellate Authorities they shall be deemed to lie on your part.
- 3 The document fee as per norms, if any, is to be collected from the applicant at your end.

In view of the above you are requested to kindly look in to the matter personally and arrange to send the desired information directly to the applicant at the earliest, treating this matter on top priority and under intimation to this office.

Enclosures as above with Nodal Officer's reply


Public Information Officer & Sr.DFM
Jaipur Division

copy to:-Mr.Mahendra Kr.Chejara, Pani ki Tanki ke pas, Post- Mukundgarh,Dist-Jhunjhun-333705,-is advised to correspond with the concerned above Public Information Officer, RTI Cell O/o DRM Jodhpur,Bikaner & Ajmer (North Western Railway),-for replies of RTI application dated 01-01-19

Enclosures - Nodal Officer's reply.

उ. प. रेल्वे N. W. R.

जी 30 बी / जी एल 19

G 30 B / GL 19

संख्या No. EL/SIKR/RTI/Jam 2019

दिनांक Date 18/01/2019

प्रेषक From SSE/P/SIKR

सेवा में To Sr. DDEE/Gen/JP

विषय Sub.: RTI Act के अन्तर्गत मांगी सूचना के फ़र्म में

संदर्भ Ref.: Sr. DFM & PIO Jaipur Division पत्र संख्या Div/JP/Inf./RTI/14291
दिनांक 11/01/2019

अपरोक्ष विधायनगत चेरर हे रि RTI Act के अन्तर्गत मांगी गई सूचना का जवाब निम्न है

(1) फ़र्म संख्या (1) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना अस्पष्ट एवं प्रश्नात्मक है,

(2) फ़र्म संख्या (2) के अन्तर्गत मांगी गई सूचना बिजली विभाग से संबंधित नहीं है,

कार्यवाही हेतु उचित है। कृपया यह आपकी सूचनार्थ व अग्रिम

Kuldeep

18.01.2019

वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता (विद्युत)
उ. प. रेल्वे, सीकर
SENIOR SECTION ENGINEER (ELEC.)
SIKAR N. W. R.

उत्तर पश्चिम रेलवे

मण्डल कार्यालय,
जयपुर

दिनांक : 29.05.2017

संख्या : ईएल/जेपी/आर टी आई/9684/ए/955

जन सूचना अधिकारी एवं
वरि. मण्डल वित्त प्रबन्धक,
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर।

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में
- अपील प्रकरण श्री महेन्द्र कुमार चेजारा, मुकुन्दगढ, जिला-झुन्झुनु

संदर्भ : श्री महेन्द्र कुमार चेजारा की अपील दिनांक 19.05.2017

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र कुमार चेजारा, मुकुन्दगढ, जिला-झुन्झुनु द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है।

मद-1 केस संख्या: EL/253/647/W6 पॉवर लाईन ट्रेक क्रॉसिंग KM 243/4-5, सीकर जं. से जेठीदादिया रेलवे स्टेशन के मध्य है एवं केस संख्या: EL/253/648/W6 पॉवर लाईन ट्रेक क्रॉसिंग KM 11/2-3, सीकर जं. से लक्ष्मणगढ सीकर रेलवे स्टेशन के मध्य है। उक्त ट्रेक क्रॉसिंग के लिये अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार कार्य करने के लिये कार्य शुरू करने की अनुमति विद्युत विभाग, जयपुर द्वारा दी गई थी। पॉवर लाईन ट्रेक क्रॉसिंग KM 11/2-3, सीकर जं. से लक्ष्मणगढ सीकर रेलवे स्टेशन (केस संख्या: EL/253/648/W6) के किये गये कार्य में मानकों की अनुपालना का कन्फर्मेशन पॉवर ग्रिड, जयपुर द्वारा पत्र संख्या: NR/1/PG/Jaipur/2017-18 दिनांक 25.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है)

पॉवर लाईन ट्रेक क्रॉसिंग KM 243/4-5, सीकर जं. से जेठीदादिया रेलवे स्टेशन (केस संख्या: EL/253/647/W6) के लिये अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार कार्य करने के लिये कार्य शुरू करने की अनुमति विद्युत विभाग, जयपुर द्वारा दी गई थी। उक्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात अन्तिम संयुक्त निरीक्षण व अनुपालना पत्र PGCIL द्वारा दिया जाना है जो कि अभी तक PGCIL द्वारा इस कार्यालय में जमा नहीं करवाया गया है। अतः इसका कन्फर्मेशन, PGCIL द्वारा अनुपालना पत्र जमा कराने पर ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। उक्त केस की अनुमोदित ड्राईंग में PGCIL द्वारा सम्बंधित IS के अनुसार कार्य करने के लिये लिखा हुआ है।

यह आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

29.5.2017
वरि. मण्डल बिजली इंजीनियर
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

This is to certify that the following code of practices or standard were used in construction work of 400 kV (Double-Circuit) Sikar - Bassi Transmission line at all its railway crossings.

Sl.No.	Indian Standard	Titles	International Standard
1	IS:800-1991	Code of practice for General Building Construction in Steel	CSA-6.1
2	IS:802 (Part-1) Sec-1-1995 Sec-2-1992	Code of practice for General Building Construction in Steel in Overhead Transmission Line Tower: Material, loads and permissible stress. Section - 1: Materials and Loads Section - 2: Permissible Stress	ASCE 52 IEC 826 BS 8100
3	IS : 802 (Part 2) - 1990	Code of practice for General Building Construction in Steel in Overhead Transmission Line: Fabrication, galvanizing, inspection & Packing	ASCE 52
4	IS : 802 (Part 3) - 1990	Code of practice for use of structural steel in Overhead Transmission Line: Tower Testing.	ASCE 52 IEC 652
5	IS : 875-1992	Code of practice for design loads (other than earthquake) for buildings and structure	
6	IS : 456	Code of practice for all the properties of concrete regarding its strength under compression, tension shear, punching etc. as well as workmanship.	

This certificate is being issued for compliance of report regarding overhead crossing of railway track by 400 kV Sikar - Bassi Line at KM No. 11 / 2-3 use only.

6/20/17
(For POWERGRID, Jaipur)